

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अम्बिका प्रसाद मंडल, उच्च वर्गीय लिपिक, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, ग्राम- कचहरिया, पो० बुद्धुचक, थाना-कहलगांव, जिला-भागलपुर (बिहार) दिनांक 28.06.2012 से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं। उन्हें इस कार्यालय के पत्रांक-9052 दिनांक 04.08.2012 एवं पत्रांक-9513 दिनांक 17.08.2012 द्वारा निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचना घर के पता पर भेजी गयी। परन्तु उनसे किसी भी प्रकार की सूचना विभाग को अप्राप्त है।

अतः एतद् द्वारा श्री मंडल, उच्च वर्गीय लिपिक को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, अन्यथा विभाग द्वारा उनके विरुद्ध अपेक्षित निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

ह०/-

(सुमन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था०ब०-3-04/2008 का०-...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को चार अतिरिक्त प्रति एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि बिहार एवं झारखण्ड के तीन मुख्य अंग्रेजी एवं हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर लगातार दो दिनों तक प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/स्था०ब०-3-04/2008 का०-10386...../राँची, दिनांक 08/09/12.....

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।